राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1857/2013/जोधपुर.

मैसर्स श्रीराम सप्लायर्स,
ग्राम बोरूंदा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर. .....अपीलार्थी

बनाम

1. उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर जोधपुर.
2. सहा. वाणि. कर अधिकारी, घट–तृतीय, वृत–बी, जोधपुर. .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. वी. सोनी, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
श्री डी. पी. ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 08/04/2015

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर जोधपुर (जिसे आगे **'प्रशासनिक अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपीलार्थी के राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 38 के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना–पत्र संख्या उपाजो/कर ।।।/2013–14 को अपास्त किये जाने सम्बन्धी पारित किये गये आदेश दिनांक 22.7.2013 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय, वृत–बी, जोधपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी के वर्ष 2003–04 का कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु जारी किये गये सम्मनों की पालना में अपीलार्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने एवं वांछित रेकॉर्ड प्रस्तुत नहीं करने पर प्रकरण में अपीलार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अधिनियम की धारा 29(7) के तहत सर्वोत्तम विवेक से कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.3.2006 को पारित करते हुए कर, सरचार्ज व ब्याज के रूप में रूपये 78,340/– की मांग सृजित की गयी। अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश को खोलकर पुनः कर निर्धारण की स्वीकृति हेतु प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा 38 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रशासनिक अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.07.2013 से निरस्त किया गया। उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

3. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने कथन किया कि अपीलार्थी के बड़े भाई, जो कि व्यवसाय सम्भालते थे, का देहान्त हो जाने तथा अपीलार्थी स्वयं का हृदयाघात की बीमारी से ग्रसित होने के कारण नियत तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हो सके तथा इस बाबत कर निर्धारण अधिकारी को अवगत भी करवा दिया गया था। इसके बावजूद कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधि की बिक्री अनुमानित की जाकर कर/सरचार्ज व ब्याज आरोपण हेतु पारित किया गया एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश पूर्णतः अविधिक एवं अनुचित है। प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को आलौच्य अवधि के कर निर्धारण हेतु जारी किये गये नोटिस की पर्याप्त तामील एवं कर निर्धारण अधिकारी के एकपक्षीय पारित कर निर्धारण आदेश को विधिसम्मत मानते हुए अपीलार्थी के धारा 38 के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने में विधिक भूल की गई है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने प्रशासनिक अधिकारी के आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

4. बहस के दौरान विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक का कथन है कि अपीलार्थी को सुनवाई एवं वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु अनेक अवसर प्रदान किये गये, किन्तु अपीलार्थी द्वारा प्रत्येक पेशी पर अगली तारीख पेशी चाही जाती रही एवं अगली पेशी पर आगामी तारीख पेशी हेतु निवेदन किया जाता रहा। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनेक अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधि के बहियात व लेखा—पुस्तकें प्रस्तुत नहीं की गयी। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा प्रकरण में पूर्णतया असहयोगात्मक रवैया अपनाया गया एंवं कर निर्धारण आदेश को विलम्बित किये जाने की कार्यवाही की गई। विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी ने ऐसा कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया कि वे कर निर्धारण की प्रक्रिया के दौरान क्यों नहीं उपस्थित हुए अथवा वांछित दस्तावेज क्यों नहीं प्रस्तुत किये जा सके। इसके अलावा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ना तो प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष वांछित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं एवं ना ही कर बोर्ड के स्तर पर प्रस्तुत किये गये हैं। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरण में अपीलार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए सर्वोत्तम विवेक से गत वर्ष की बिक्री में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक त्रुटि की नहीं की गयी है। इसी प्रकार प्रशासनिक अधिकारी ने भी अपीलार्थी का धारा 38 का प्रार्थना—पत्र अस्वीकार किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

लगातार.....3

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को सुनवाई हेतु जारी किये गये नोटिसों की पालना में अपीलार्थी द्वारा उनके बड़े भाई, जो कि व्यवसाय संचालित करते थे, का देहान्त हो जाने तथा अपीलार्थी स्वयं के हृदयाघात की बीमारी से ग्रसित होने के कारण नियत तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं होने तथा आगामी तारीख पेशी प्रदान किये जाने हेतु निवेदन किया गया। किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त प्रार्थना—पत्र अस्वीकार करते हुए प्रकरण में एकतरफा आदेश पारित किया गया है, जिसे प्रथम दृष्टया न्यायोचित नहीं माना जा सकता। प्रशासनिक अधिकारी द्वारा भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए अपीलार्थी का धारा 38 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अस्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए प्रशासनिक अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.7.2013 एवं कर निर्धारण अधिकारी का आदेश दिनांक 31.3.2006 अपास्त किये जाते हैं तथा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, इस आदेश प्राप्ति के 60 दिवस में नियमानुसार पुनः आदेश पारित करें।

8. निर्णय सुनाया गया।

मनोहर पुरी 02.04.2015

(मनोहर पुरी)
सदस्य